महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु प्रचलित भारत सरकार की नीतियाँ

डा० मनमीत कौर

एसोसिएट प्रोफेसर,राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली

नन्हें राव

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, बरेली कॉलेज, बरेली

अमूर्त

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समय–समय पर अनेक कानूनों एवं नीतियों का निर्माण किया गया तथा अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं को चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम, सरोगेसी अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, कार्यस्थल पर उत्पीड़न अधिनियम, जैसे कानूनों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम लागू किया गया। योजनाओं के अन्तर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना एवं स्वाधार योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी जिस मात्रा में महिलाओं को सशक्त होना चाहिए था उस मात्रा में उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है।

कुंजी शब्दः महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, भारत सरकार।

प्रस्तावना

किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति वहाँ की महिलाओं के विकास पर आधारित होती है। महिलाएँ इस दुनिया की आधी आबादी हैं इसलिए यह बेहद जरूरी है कि उन्हें लैंगिक समानता प्रदान करते हुए पुरूषों के बराबर अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान किए जाएँ जो मानवीय गरिमा के साथ जीने के लिए आवश्यक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब भारत में नया संविधान लागू हुआ तब महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये। समय–समय पर तमाम सरकारों द्वारा महिलाओं को सशक्त करने हेतु अनेक कानूनों का निर्माण किया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक दिशा–निर्देश व निर्णय दिये गये। महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है तथा आज भी वर्तमान समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक कानून व योजनाएँ प्रचलित हैं।

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु प्रचलित प्रमुख कानून

महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक कानूनों का निर्माण किया गया। सन् 1948 में 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)' बनाया गया जो महिला और पुरूष श्रमिकों के बीच भेदभाव या उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।[1] सन् 1948 में 'खान अधिनियम और कारखाना अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम पर नहीं लगाया जा सकता है

और इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण का भी ध्यान रखना जरूरी है।[2] 1955 में 'हिन्दू विवाह अधिनियम' बनाया गया जिसके द्वारा महिला और पुरूष दोनों को विवाह और तलाक के सम्बन्ध में समान अधिकार दिए गए तथा एक से अधिक पत्नी रखने को प्रतिबन्धित किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) तथा पिता की सम्पत्ति में पुरूषों के साथ महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किया गया।[3] महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम हेतु 'अनैतिक देह व्यापार अधिनियम (1956)' बनाया गया।[4] सन् 1961 में 'दहेज निषेध अधिनियम', 1961 में ही 'मातृत्व लाभ अधिनियम' बनाया गया जो महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश प्रदान करता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को काम से नहीं निकाला जा सकता है।[5] गर्भावस्था अधिनियम (1971) के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह के गर्भ (सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह) को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की गई।[6] समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) द्वारा पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया।[7] महिलाओं को विज्ञापनों, प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग अन्य किसी तरीके से अभद्र अथवा अश्लील प्रदर्शन को प्रतिबन्धित करने हेतु महिला का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम (1986) बनाया गया।[8] सन् 1987 में सती (रोकथाम) अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया गया तथा उसके महिमा मण्डन को अपराध घोषित किया गया।[9] महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990) बनाया गया तथा महिला आयोग का गठन किया गया।[10] महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या अन्य किसी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया, जिसे 2006 से लागू कर दिया गया।[11] 13 अगस्त, 1997 को मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले 'विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान' में कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण के सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिये हैं।[12]

वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु प्रयास

वर्तमान समय में विगत् वर्षों में महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं:

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) अधिनियम, 2019

राष्ट्रपति रामनाथ ने 31 जुलाई 2019 को इस अधिनियम को मंजूरी दी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह अधिनियम कानून बन गया। यह अधिनियम तलाक को तलाक–ए–बिद्दत के रूप में परिभाषित करता है। इस अधिनियम में तीन तलाक की परिपाटी को निरस्त और गैर–कानूनी घोषित किया गया है। इसे तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध माना गया है। एक मुस्लिम महिला जिसके खिलाफ तलाक घोषित किया गया है, अपने पति से अपने लिए और अपने आश्रित बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता पाने का अधिकार है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को लिंग समानता प्रदान करेगा। उनके अधिकारो की रक्षा में मदद करेगा और उनके पति द्वारा 'तलाक–ए–बिद्दत' से तलाक लेने से रोकेगा साथ ही यह निर्वाह भत्ता, ट्रिपल तलाक यानि तलाक–ए–बिद्दत के पीड़ितों के नाबालिक बच्चों की कस्टडी भी प्रदान करेगा।[13]

सरोगेसी विधेयक (2016)

इस विधेयक में देश में कॉमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने, सरोगेसी का दुरूपयोग पर रोक लगाने के साथ ही निस्संतान दम्पत्तियों को सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान किये गए हैं। इस कानून का मकसद सरोगेसी में अनियंत्रित गतिविधियों को नियंत्रित करना तथा सरोगेट मदर्स एवं सरोगेसी से जन्मी सन्तान के सम्भावित शोषण पर रोक लगाना है।[14]

कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कानून (2013)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को अप्रैल 2013 में लागू किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के अन्तर्गत किसी महिला को कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न का शिकार हुई महिला ऐसी घटना के सम्बन्ध में समिति के पास अपनी शिकायत कर सकती है। समिति जाँच करने से पहले महिला के अनुरोध पर सुलह करने का प्रयास कर सकती है। यदि कोई महिला गलत शिकायत करती है तो समिति उसे सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित दण्ड दे सकती है। केन्द्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए नये नियम लागू किये हैं, जिसके अन्तर्गत कार्य स्थल पर यौन शोषण की शिकायत होने पर महिलाओं को जाँच लंबित रहने तक 90 दिन तक सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी।[15]

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम (2021)

25 मार्च, 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गर्भ के चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (Medical Termination of Pregnancy (Amendment Act), 2021) को मंजूरी प्रदान की गई। यह संशोधन अधिनियम चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 में संशोधन करता है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजननिक (Eugenic) मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करना है।[16]

सवरीमाला मन्दिर में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से फैसला देते हुए मन्दिर में घुसने की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को मन्दिर में घुसने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। लिंग के आधार पर भक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।[17]

खदान में महिलाओं को रोजगार की अनुमति

4 फरवरी, 2019 को केन्द्र सरकार ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के प्रावधानों के तहत महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदान में रोजगार प्राप्त करने की छूट प्रदान की है। पहले महिलाओं को अधिनियम, 1952 के तहत जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक रोजगार देना प्रतिबन्धित था।[18]

महिलाओं की सुरक्षा हेतु पोर्टल लॉन्च

केन्द्र सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दो नये पोर्टल लॉन्च किए हैं। जो निम्नलिखित हैं–

(i) साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन पोर्टल (CCPWC)– यह पोर्टल आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री की जाँच के लिए है।

(ii) नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स (NDSO)– यह पोर्टल यौन अपराधों की निगरानी और जाँच में सहायता के लिए है।[19]

'शी–बॉक्स' : यौन उत्पीड़न पोर्टल

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 22 नवम्बर, 2018 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल 'शी–बॉक्स' को केन्द्रीय मन्त्रालयों, विभागों और 33 राज्यों के 653 जिलों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से जोड़ा है। इसके अन्तर्गत यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करने के लिए हर मामला सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्र/राज्य पदाधिकारी के पास सीधे पहुँच जाता है। 'शी–बॉक्स' की शिकायकर्ता और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा सकती है। इससे मामले को निपटाने में लगने वाल समय में कमी आएगी।[20]

वन स्टॉप सेन्टर

महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत किसी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य कोई घटना घटित होने पर वन स्टॉप सेन्टर के माध्यम से पीड़ित को न्याय दिलाया जाता है। इस योजना के तहत 181 महिला हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल और 24 घण्टे आपात् सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएँ चिकित्सा आपात् स्थिति में तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं और स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हेल्पलाइन पर फोन कर सकती हैं।[21]

महिला सुरक्षा हेतु प्रचलित कानूनों एवं नीतियों की समीक्षा

1950 से लेकर वर्तमान समय तक भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु अनेक कानूनों एवं नीतियों का निर्माण किया गया लेकिन फिर भी उनके साथ अत्याचार, शोषण एवं हत्याओं की घटनाएँ सामने आ रही हैं। उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं जिनमें पितृसत्तात्मक परम्पराएँ, कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका शिशु हत्या, कार्यस्थल पर शोषण एवं असमान वेतन, दहेज, लड़की को बोझ समझना, बेटों को अधिक महत्व देना, बाल विवाह, बलात्कार, तेजाब हमले एवं ऑनर किलिंग जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा 14 सितम्बर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में रोजाना लगभग 77 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2019 के 4,05,326 की तुलना में कम हैं। वर्ष 2020 में पूरे वर्ष में बलात्कार के 28,046 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2020 में दहेज हत्या के 6966 मामले दर्ज किये गये। इसी वर्ष के दौरान एसिड अटैक के 105 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सर्वाधिक मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न के दर्ज किए गये।

विश्व आर्थिक मंच द्वज्ञरा जारी 'ग्लोबल जेण्डर गैप इंडेक्स'–2021 रिपोर्ट जो कि विश्व के 156 देशों में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक उनकी पहुँच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे चार मानकों एवं लैंगिक भेदभाव के न्यूनीकरण की दिशा में किये जा रहे विभिन्न राष्ट्रों के अध्ययन के पश्चात् तैयार किये गए सूचकांक में भारत 2020 के मुकाबले अट्ठाईस पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुँच गया है।[22]

वर्तमान समय में महिलाओं की श्रम में भी घटती भागीदारी नजर आ रही है। विश्व बैंक के अनुसार 1990 में भारत में जहाँ महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 30 प्रतिशत थी, वहीं 2019 में

घटकर 20.5 प्रतिशत रह गई है। इसका प्रमुख कारण अवसरों की कमी, शिक्षा का अभाव, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि रहे हैं।[23]

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु प्रचलित भारत की योजनाएँ :–

महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ चलाई जा रही है–[24]

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

इस योजना का प्रारम्भ भारत सरकार द्वारा एक जनवरी, 2017 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम बार गर्भवती महिला एवं धात्री महिला को सरकार पाँच हजार रूपये प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

यह योजना समस्त गर्भवती महिलाओं के लिए है। इस योजना में समस्त गर्भवती महिलाओं के गर्भ के द्वितीय/तृतीय त्रैमास में कम से कम एक बार एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

जननी सुरक्षा योजना

यह योजना समस्त गर्भवती महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रसव हेतु रूपये 1400 प्रति लाभार्थी की दर से एवं शहरी क्षेत्रों में होने वाले प्रसव हेतु रूपये 1000 प्रति लाभार्थी की दर से तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को घरेलू प्रसव हेतु दो बच्चों तक 500 रूपये प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान किया जाता है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना

इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को समस्त स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। प्रसवोपरान्त महिलाओं को अस्पताल में 48 से 72 घण्टे तक रूकने का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत निःशुल्क परिवहन, भोजन, उपचार, जाँच, ब्लड, ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था की जाती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य लिंगानुपात में समानता लाना, बालिकाओं की हत्या, भ्रूण हत्या को रोकना तथा बालिकाओं को शिक्षित करना।[25]

सबला योजना

किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु 11 अप्रैल, 2011 को केन्द्र सरकार द्वारा इसकी शुरूआत की गई। इस योजना के अन्तर्गत चयनित जिलों में 11 से 15 वर्ष की युवतियों को पका हुआ खाना तथा 15 से 18 वर्ष की युवतियों को आयरन की गोलियाँ सहित अन्य दवाएँ दी जाती हैं।[26]

स्वधार योजना

इस योजना का शुभारम्भ सन् 2001–02 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, मानसिक रूप से कमजोर व बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था कर फिर से जीवन की शुरूआत करने का अवसर देना है।[27]

इन योजनाओं के अतिरिक्त महिलाओं को रोजगार हेतु दक्षता और कौशल प्रदान करने के लिए 'महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम' भी चलाया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में 'महिला शक्ति केन्द्र योजना' का शुभारम्भ किया गया। जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने का काम किया जाता है।[28]

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कानूनों एवं नीतियों का निर्माण किया गया है तथा अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है लेकिन फिर भी महिलाओं का जिस मात्रा में सशक्तिकरण होना चाहिए उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण में अनेक समस्याएँ आ रही हैं, जिन्हें निम्नलिखित सुझावों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है :–

1 महिलाओं को जागरूक किया जाए तथा प्रचलित कानूनों एवं योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए।
2 महिलाओं के प्रति परम्परागत सोच में बदलाव किया जाए तथा उन्हें समानता की दृष्टि से देखा जाए।
3 व्यावहारिक रूप में उन्हें अवसर की समानता प्रदान की जाए तथा कार्यस्थलों पर भेदभाव की दृष्टि से न देखा जाए।
4 महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।

उपर्युक्त सुझावों के आधार पर महिलाओं को पहले से अधिक सशक्त बनाया जा सकता है तथा उनके प्रति अपराधों को कम किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1 शर्मा, प्रेम नारायण तथा अन्य. (2006). महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास. भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृ० 319–320
2 वही
3 वही, पृ० 325–328
4 ओझा, एन.एन. (2019, फरवरी). महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 28(7), 151
5 शर्मा, प्रेमनारायण तथा अन्य पूर्वो० पृ० 319–320
6 भारत में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित कानून. (2018, अगस्त 24). Retrived December 25, 2021, from google.com. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/laws-related-to-women-empowerment-in-india-in-hindi-148888 1226-2
7 वही
8 वही
9 वही
10 ओझा, एन.एन. (2019, फरवरी). पूर्वो० पृ० 154
11 वही, पृ० 152

12 कुमार, मनीष. (2011). महिला सशक्तिकरण. मधुर बुक्स, दिल्ली. पृ० 86–87
13 ओझा, एन.एन. (2019, सितम्बर). मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 29(2), 117
14 ओझा, एन.एन. (2019, अक्टूबर). भारत में सरोगेसी. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 29(3), 88–89
15 ओझा, एन.एन. (2019, सितम्बर). महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दे. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 29(2), 117
16 ओझा, एन.एन. (2021, मई). गर्भ का चिकित्सीय समपान (संशोधन) अधिनियम, 2021. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 30(10), 18
17 ओझा, एन.एन. (2019, जनवरी). सबरीमाला मन्दिर मामला : आस्था बनाम अधिकार. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 29(6), 15
18 ओझा, एन.एन. (2019, सितम्बर). पूर्वो० पृ० 123
19 वही, 124
20 वही, 125
21 ओझा, एन.एन. (2019, अगस्त). वन स्टॉप सेन्टर योजना. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 29(1), 30
22 ओझा, एन.एन. (2021, नवम्बर). क्राइम इन इण्डिया 2020 : एन.सी.आर.बी. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 31(3), 41
23 जैन, महेन्द्र (2022, जनवरी). वर्तमान में लैंगिक भेदभाव मिटाने की चुनौती. प्रतियोगिता दर्पण, 44(6), 83
24 ओझा, एन.एन. (2021, अप्रैल). महिलाओं की श्रम बल में घटती भागीदारी. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 30(9), 73
25 जैन, महेन्द्र (2022, जनवरी). पूर्वो० पृ० 85–87
26 ओझा, एन.एन. (2019, फरवरी). महिलाओं के लिए योजनाएँ एवं कार्यक्रम. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 28(7), 155
27 वही, 157
28 वही, 157